न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री सेवाराम स्वामी, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या :– 139/2009

सरदारा दत्तक पुत्र ग्यारसा, (मृतक),
1. मु0 विमला देवी बेवा स्व. श्री सरदारा
2. रामकरण पुत्र स्व. श्री सरदारा
3. नरेश पुत्र स्व. श्री सरदारा (मृतक)
3/1 मु0 किरण बेवा स्व. श्री नरेश
3/2 लोकेश पुत्र स्व. श्री नरेश, आयु 04 वर्ष
3/3 मोहित पुत्र स्व. श्री नरेश, आयु 02 वर्ष
3/4 आरती पुत्र स्व. श्री नरेश, आयु 12 वर्ष
3/5 कविता पुत्री स्व. श्री नरेश, आयु 10 वर्ष
3/6 अन्जू पुत्री स्व. श्री नरेश, आयु 08 वर्ष
नाबालिगान जरिये प्राकृतिक संरक्षिका एवं
माता श्रीमती किरण बेवा स्व. श्री नरेश,

समस्त जाति चमार, निवासी द्वारिकपुरा, तहसील कोटपूतली, जिला जयपुर।

–अपीलार्थी/वादी–

बनाम

1. गिरिराज
2. लालचन्द्र

पुत्रान श्री बख्तावर, जाति अहीर, निवासी ग्राम द्वारिकपुरा, तहसील कोटपूतली, जिला जयपुर।

3. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार कोटपूतली, तहसील कोटपूतली, जिला जयपुर।

–रेस्पोडेंट्स/प्रतिवादीगण–

उपस्थित अधिवक्तागणः–

1– श्री हेमन्त सोगानी, अपीलांट की ओर से।

2– श्री वीरेन्द्र यादव, रेस्पोडेंट की ओर से।

:– निर्णय :– दिनांक :– 21–11–2017

1– यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री न्यायालय सहायक कलक्टर कोटपूतली, जिला जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

दिनांक 20.8.2009 (वाद संख्या 234/98 उनवानी सरदारा बनाम गिरिराज व अन्य) प्रस्तुत की गई है।

2– प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट वादी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक दावा बाबत् दुरूस्ती रिकॉर्ड, घोषणा व अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि हाल खसरा नम्बर 219, 0.20 हैक्टै0, 220 0.49 हैक्टै0, 222 0.15 हैक्टै0, 219/911, 0.17 हैक्टै0, 222/912, 0.12 हैक्टै0, कुल किता 5 कुल रकबा 1.13 हैक्टै0 वाके ग्राम द्वारिकपुरा जिसके साविक खसरा नम्बर 163 रकबा 3 बीघा व 165 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा रहे हैं। साविक खसरा नम्बर 163 के हाल खसरा नम्बर 219, 220 व 219/911 के 1/4 हिस्से के तथा साविक खसरा नम्बर 165 के हाल खसरा नम्बर 222, 222/911 के ग्यारसा पुत्र धन्ना चमार है व साविक खसरा नम्बर 163 के 1/2 हिस्से के काश्तकार प्रभुसिंह थे व बाकी 1/4 हिस्से के मांगु, बख्तावर थे इसी प्रकार साविक खसरा नम्बर 165 के 1/2 हिससे के खातेदार ग्यारसा पुत्र धन्ना व 1/2 मांगु, बख्तावर थे। इसी अनुसार गिरदावरी भी दर्ज चली आ रही थी वह मौके पर काबिज काश्त चले आ रहे हैं। ग्यारसा पुत्र धन्ना ना–औलाद फौत हो गया व ग्यारसा ने अपने जीवनकाल में अपने सगे भाई गुल्ला के लडके सरदारा को दिनांक 4–7–1968 को गोद ले लिया था तभी से सरदारा के साथ रह रहा था। तथा उक्त आराजी को काश्त करता चला आ रहा है। हाल सैटलमेन्ट में प्रतिवादीगण रेस्पोडेंटस ने सैटलमेन्ट कर्मचारियों से मिलकर जो खसरा नम्बर 163 में वादी का 1/4 हिस्सा तथा खसरा नम्बर 165 में 1/2 हिस्सा दर्ज चला आ रहा था उसको हटवा कर प्रतिवादीगण गिरिराज व लालचन्द्र ने संपूर्ण रकबा अपने नाम दर्ज करवा लिया। वादीगण ने प्रतिवादीगण को कई बार राजस्व रिकॉर्ड की दुरूस्ती रिकॉर्ड के लिए कहा गया परन्तु वे साफ इंकार हो गये। अतः यह डिक्री बहक वादी द्वारा प्रतिवादीगण इस आशय की प्रदान किये जावे कि हाल खसरा नम्बर 219, 220, 219/911 जिसके साविक खसरा नम्बर 163 है में 1/4 हिस्से तथा हाल खसरा नम्बर 222, 222/912 जिसका साविक खसरा नम्बर 165 है के 1/2 हिससे से प्रतिवादीगण का नाम हटाया जाकर वादी का नाम दर्ज कर खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। जवाब प्रस्तुत किया तथा कथन किया गया कि साविक खसरा नम्बर 163 के 1/4 हिस्से तथा साविक खसरा नम्बर 165 के 1/2 हिस्से का

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

खातेदार काश्तकार ग्यारसा पुत्र धन्ना कभी भी नहीं रहा बल्कि सम्पूर्ण रकबा के खातेदार काश्तकार पूर्व में प्रभुसिंह पुत्र जतन सिंह था जिसने रजिस्टर्ड विक्रय पत्र सम्पूर्ण भूमि प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 को विक्रय कर दिनांक 3–7–1976 को कब्जा संभला दिया था और तब से प्रतिवादीगण बहैसियत खातेदार काश्तकार काबिज चले आ रहे हैं। ग्यारसा ने अपने जीवनकाल में वादी को कभी भी गोद नहीं लिया तथा न ही ग्यारसा आराजी वादग्रस्त पर कभी काबिज हुए ना ही लगान अदा किया प्रतिवादीगण द्वारा जवाब प्रस्तुत कर वादी का वाद खारिज करने का निवेदन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में निम्नलिखित तनकियात कायम की गई

(1) आया वादी ग्यारसा पुत्र धन्ना चमार का दत्तक पुत्र है।

(2) आया खसरा नम्बर 219, 220, 219/911 जिसके साविक खसरा नम्बर 163 का 1/4 हिस्सा व खसरा नम्बर 222, 222/912 स्थित भूमि द्वारिकपुरा 1/2 हिस्से के काबिज काश्तकार वादी है।

(3) आया राजस्थान सरकार को नोटिस दिये बिना वाद नहीं चल सकता है।

(4) आया माननीय न्यायालय को वाद का श्रवणाधिकार नहीं है।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 20–8–2009 द्वारा वादी का वाद खारिज कर दिया गया जिसके विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत की गई है।

3– अपीलार्थी द्वारा अपील प्रस्तुत कर कथन किया गया कि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री तथ्यों एवं कानून के विपरीत होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम आने के पूर्व से ही स्व. ग्यारसा भूमि वादग्रस्त निरन्तर काबिज काश्त चला आ रहा था तथा खसरा नम्बर गिरदावरियों में स्व. ग्यारसा का नाम कृषक के खाने में दर्ज था परन्तु जमाबन्दी में उक्त भूमि प्रभु सिंह पुत्र जतन सिंह के नाम खातेदारी में दर्ज हुई जो इन्द्राज वादी के विरूद्ध कतई अवैध एवं भाव शुन्य है। वादी को उक्त हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना एक होने के बावजूद भी विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद का दावे को निरस्त किया गया है जो पूर्णतय अवैध है, खसरा गिरदावरी प्रदर्श 3 के कॉलम संख्या 6 में कृषक के खाने ग्यारसा पुत्र धन्ना चमार का नाम दर्ज है परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त साक्ष्य को नजरअन्दाज किया है। ग्यारसा पुत्र धन्ना ने वादी को 13–14 साल की उम्र में

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

गोद ले लिया था और तब से ही वादी ग्यारसा के पुत्र के रूप में रहता चला आ रहा है और भूमि वादग्रस्त पर काबिज काश्त रहा है। वादी ने ग्यारसा का दत्तक पुत्र होना साबित किया है परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादी को दत्तक पुत्र नहीं मानकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित किया है जो निरस्तनीय है। भूमि वादग्रस्त पर गत 50 वर्षो से निरन्तर व मुखालफाना कब्जा होने के वजह से वादी को मुखालफाना कब्जे के आधार पर ही खातेदारी अधिकार प्राप्त हो गये हैं। खसरा गिरदावरी के इन्द्राज से वादग्रस्त भूमि पर वादी का कब्जा पूर्णतया स्पष्ट है फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना न्यायिक विवेक लगाये अपीलाधीन निर्णव व डिक्री पारित की है। वादी ने घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा के अनुतोष मात्र हेतु दावा प्रस्तुत किया है तथा भूमि निजी खातेदारी की भूमि है जिसमें राज्य सरकार मात्र एक भूमि अधिकारी है ऐसी स्थिति में खातेदारी अधिकारों की घोषण हेतु दावा प्रस्तुत करने से पूर्व राज्य सरकार को धारा 80 जाप्ता दीवानी के तहत पूर्व नोटिस प्रेषित किया जाना आवश्यक नहीं था फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस आधार पर दावे को निरस्त किये जाने का अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की है, जो अवैध है एवं निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलान्ट द्वारा उपर्युक्त कथन कर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 20–8–2009 को निरस्त कर वादी/अपीलार्थी के दावे को डिक्री किया जाने का अनुतोष चाहा है।

4– अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेंटस जरिये नोटिस तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्राप्त की गई। बरवक्त बहस अपीलान्ट अनुपस्थित रहे। अतः अपील मीमों को ही बहस माना जाकर अधिवक्ता रेस्पोडेंट की बहस सुनी गई।

5– अधिवक्त रेस्पोडेंट द्वारा अपनी बहस में कथन किया गया कि वादग्रस्त भूमि ग्यारसा की खातेदारी थी तथा वह ग्यारसा का दत्तक पुत्र है, यह कथन करते हुए वादी अपीलान्ट द्वारा दावा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है जिसका रेस्पोडेंट प्रतिवादी द्वारा जवाब दिया जाकर कथन किया गया है कि वादग्रस्त भूमि ग्यारसा की खातेदारी में नहीं रही है बल्कि प्रभु सिंह के नाम थी जिसे जरिये रजिस्टरी रेस्पोडेंट प्रतिवादीगण द्वारा क्रय की गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में 4 तनकियात कायम की गई है तथा साक्ष्य सबूतों के आधार पर तनकियात का निर्णय कर वादी का वाद उचित तौर पर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

खारिज किया गया है। सरदारा द्वारा गोदनामा प्रदर्श करवाया गया है वह बही की लिखावट है न कि गोदनामा। दस्तावेजों में सरदारा के पिता का नाम गुल्ला अंकित है तथा गुल्ला की मृत्यु के पश्चात् विरासत में गुल्ला की भूमि तीनों भाईयों के नाम दर्ज हुई है। वादी द्वारा दत्तक पुत्र होने सम्बधी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। तथा तनकी नम्बर 1 सिद्ध नहीं की गई है। तनकी नम्बर 2 भी उचित तौर पर निर्णित की गई है। वादी ने स्वयं जिरह में माना है कि प्रभु सिंह ने प्रतिवादीगण को वादग्रस्त भूमि विक्रय की है तथा कब्जा सौंपा है अन्य गवाहों ने भी इस तथ्य को स्वीकार किया है। इस प्रकार अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील में कोई विधिक बल नहीं है तथा वह खाारिज किये जाने योग्य है।

6– अपील मीमों में वर्णित तथ्यों, रेस्पोडेंट द्वारा बहस में किये गये कथनों पर मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजत का अवलोकन किया गया। वादी द्वारा अपने वाद के समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजात में छाया प्रति गोदनामा लिखावट, रसीद लगान, नकल मिलान क्षेत्रफल, नकल जमाबन्दी सम्वत 2026, नकल जमाबन्दी सम्वत 2037–56, नकल गिरदावरी 2015–19 व 2030–33 पेश की है तथा साक्ष्य में सरदारा, जवाहर लाल, हरनारायण, मोहनसिंह के बयान करवाये हैं प्रतिवादीगण द्वारा जवाब दावे के साथ असल विक्रय पत्र दिनांक 3–7–1976, खसरा गिरदावरी सम्वत 2011–14 को राशन कार्ड की प्रति, वोटर लिस्ट की प्रति पेश की है तथा संक्षेप में गिरिराज, हीरालाल, बोदूराम, रामेश्वर व पांचु के बयान करवाये है। तनकीवार विवेचन व निष्कर्ष निम्नानुसार हैः–

<u>तनकी नम्बर–1</u> अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस तनकी का विवेचन किया गया है कि "इस तनकी का भार वादी पर था, जिसके लिए वादी ने मात्र एक लिखावट पेश की है, जो एक साधारण कागज पर लिखी गई है, जो कहीं भी रजिस्टर्ड नहीं है, ना ही किसी प्रकार की बही प्रस्तुत की गई है, जिससे यह साबित होता है कि गोदनामा विधिवत हुआ हो ना ही गवाहान का पेश किया गया है। गोदनामा एडोपशन एक्ट के अनुसार नहीं है, इसके अलावा राशन कार्ड रजिस्टर 2005–06 का पेश किया है, जिसमें सरदाराराम चमान पुत्र गुल्लाराम चमार अंकित हे। ग्राम पंचायत द्वारिकपुरा की वोटर लिस्ट भी पेश की है, जिसमें सरदाराराम वर्मा पुत्र गुल्लाराम अंकित है, यह बात सरदारा ने

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

अपने बयानों में भी जिरह में अंकित करवाई है, कि निर्वाचन कार्ड में मेरे बाप का नाम गुल्ला लिखा हुआ है, इस प्रकार यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि सरदारा को ग्यारसा ने गोद लिया हो, इस बाबत वकील प्रतिवादी ने ग्राम भूरी भडाज की जमाबन्दी पेश की है, जिससे छोटू, सरदारा, फूला पिता गुल्ला चमार दर्ज है, इस प्रकार यह स्पष्ट है कि सरदारा गोद जाना साबित नहीं होता है। यह तनकी वादी के खिलाफ तय की जाती है।'' अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उपर्युक्त विवेचन दस्तावेजी साक्ष्यों का विवेचन किया जाकर उचित तौर पर पारित किया गया है। वादी द्वारा स्वयं को ग्यारसा का दत्तक पुत्र होना साबित नहीं किया जा सका है इसलिए इस तनकी पर पारित निष्कर्ष यथावत रखा जाता है।

तनकी नम्बर–2 अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस तनकी का विवेचन किया गया है कि "इस तनकी का भार वादी पर था, जिसके लिए वादी ने कोई भी जमाबन्दी पेश नही की है, लगान की रसीदें दिनांक 16–2–1972 की पेश की है, जिसमें भूमिधारी की नाम प्रभुसिंह राजपूत है तथा काश्तकार का नाम ग्यारसा पुत्र धन्ना अंकित है, गिरदावरी पेश की गई है, गिरदावरी सम्वत 2015 से 2018 में ग्यारसा पुत्र धन्ना चमार का नाम अंकित है, तथा सम्वत 2019 में भी ग्यारसा का नाम अंकित है, तथा सम्वत 2030 से 2037 में भी ग्यारसा पुत्र धन्ना चमार का नाम अंकित है भूमिधारी प्रभुसिंह पुत्र जतनसिंह अंकित है, इसके अलावा और कोई दस्तावेज पेश नहीं किया गया है जिससे साबित होता है कि वादी विवादित आराजी का खातेदार काश्तकार है, बयानात में सरदारा ने अंकित किया है कि प्रतिवादीगण ने सैटलमेन्ट कर्मचारियों से मिलकर खसरा नम्बर 219, 220, 219/911 में वादी का 1/4 हिस्सा व खसरा नम्बर 222, 222/912 में वादी का 1/2 हिस्सा कदीम से है, और बतौर खातेदार काश्तकार चला आ रहा है, ये मेरे दत्तक पिता ग्यारसा पुत्र धन्ना चमार का नाम हटवाकर प्रतिवादीगण ने सम्पूर्ण रकबे में रिकॉर्ड यानि जमाबन्दी में अपना नाम करवा लिया तो गलत करवाया है, लेकिन इस बाबत ऐसी कोई जमाबन्दी पेश नहीं किया, जिससे ग्यारसा का नाम अंकित हो, यह बात वाद पत्र भी अंकित की गई है। वादी सरदारा ने अपने बयानों में जिरह में यह अंकित करवाया है, कि भूमि प्रभुसिंह ठाकुर की थी, मुझे नहीं पता कि प्रभुसिंह से ग्यारसीलाल ने जमीन कैसे ली, कितने रूपये में ली। इस प्रकार इस जमीन बाबत् हमारे पास

राजस्व अपील प्राधिकारी

कोई लिखावट नहीं है। सरदारा ने अपने बयानों में यह भी अंकित करवाया है कि यह बात सही है, कि मुझे दावा करने से पहले इस बात की जानकारी थी, कि विवादित भूमि की रजिस्ट्री प्रभूसिंह से प्रतिवादीगण ने करवाली इसके अलावा प्रतिवादीगण ने विवादित आराजी खसरा नम्बर 163 व 1665 साबिक की रजिस्ट्री पेश की है, जिसमें खातेदार प्रभूसिंह ने भूमि प्रतिवादी गिरिराज, लालचन्द्र पुत्रान बख्तवार जाति अहीर निवासी द्वारिकपुरा को बेची है, तथा भूमि वर्तमान में प्रतिवादीगण के नाम है। जमाबन्दी पेश की गई है, प्रतिवादी गिरिराज ने अपने बयानों में अंकित किया है कि ग्यारसा, प्रभूसिंह के नौकरी करता था। प्रतिवादी ने जिरह में बताया है कि भूमि पर 03.07.1976 को रजिस्ट्री होने पर कब्जा ने लिया था, ग्यारसा ने सरदारा की गोद नहीं लिया, बयानों में आगे अंकित कराया है कि यह कहना गलत है कि एफ.आई.आर. 86/02, एफ.आई. आर. 391/01 व 350/99 वादी ने हमारे खिलाफ दर्ज करवाई, जिसमें हमको सजा हुई हो बल्कि हम सभी केसों में बरी हुए हैं, इस बाबत माननीय सिविल न्यायालयों की निर्णय की प्रतियां भी पेश की गई है, जिसमें अभियुक्तों को आरोप मुक्त किया गया है, प्रतिवादी के गवाह हीरालाल ने भी अंकित कराया है, कि विवादित आराजी प्रभुसिंह की थी, जिससे प्रतिवादीगण ने खरीदी थी, तब से ये लोग काबिज है, अन्य गवाह रामेश्वर ने भी जिरह में अंकित कराया है, कि 30–35 साल पहले राजपूत से गिरिराज व लालचन्द्र ने भूमि खरीद कर ली थी, इस प्रकार प्रतिवादी विवादित आराजी के सद्भावी क्रेता है, जिनका नाम जमाबन्दी में अंकित है। वादी का प्रतिकूल कब्जे के आधार पर भी सम्वत 2012 से नहीं है, ताकि उसमें अनुतोष दिया जा सके। पुलिस द्वारा विवादित भूमि के कब्जे बाबत कोई ठोस सबूत अंकित नहीं किये गये है, अतः यह तनकी वादी के विरूद्ध तय की जाती है।" अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया उपर्युक्त विवेचन एवं पारित निष्कर्ष समस्त दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य का विवचेन करने के उपरान्त पारित किया गया है तथा अपीलान्टस द्वारा इन तथ्यों के विपरीत किसी दस्तावेजी साक्ष्य को प्रस्तुत किया जाना साबित नहीं है अतः इस तनकी पर पारित किये गये अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को यथावत रख जाता है।

<u>तनकी नम्बर–3</u> अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस तनकी का विवेचन किया गया है कि "इस तनकी का भार प्रतिवादी पर था, इसके लिए प्रतिवादी ने अपने

राजस्व अपील प्राधिकारी
नयपुर

जवाब दावा के जिम्मन नम्बर 6 के अंकित किया है कि राजस्थान सरकार को बिना नोटिस दिये पक्षकार बनाया है, इसलिए दावा खारिज होने योग्य है, वादी ने वाद पत्र के जिम्मन नम्बर 6 में अंकित किया है कि राजस्थान सरकार भूमि धारक है इसलिए आवश्यक पक्षकार होने के नाते प्रतिवादी नम्बर 3 बनाया गया है। प्रतिवादी का यह कथन कि नोटिस दिया जाना आवश्यक है, सही है, नोटिस दिया जाना चाहिए था, यह तनकी प्रतिवादी के पक्ष में तय की जाती है।'' वादीगण द्वारा अपने वाद पत्र के मद नम्बर 6 में यह अंकित किया है कि प्रतिवादी नम्बर 3 राजस्थान सरकार को आवश्यक पक्षकार बनाने के नाते प्रतिवादी बनाया गया हैं वादीगण द्वारा राजस्थान सरकार को दिये जाने वाले 80 सी.पी.सी के नोटिस बाबत् कोई तथ्य अंकित नहीं किया गया है अतः इस तनकी में पारित निष्कर्ष को यथावत रखा जाता है।

तनकी नम्बर –4 अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस तनकी का विवेचन किया गया है कि ''इस तनकी का भार प्रतिवादी पर था, जिसके लिए प्रतिवादी ने कोई ठोस सबूत पेश नहीं किया है। विवादित आराजी क्षेत्राधिकार में होने के कारण वाद सुनने का अधिकार है।'' उपर्युक्त निष्कर्ष भी राजस्व न्यायालय को खातेदारी घोषणा के वाद को सुनने का अधिकार होने से यथावत रखा जाता है।

7– उपर्युक्त विवेचन से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्यों का समुचित विश्लेषण व विवेचन किया जाकर विवेकपूर्ण निर्णय पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अपीलान्ट्स द्वारा प्रस्तुत अपील विधिक बल रहित होने के कारण स्वीकार योग्य नहीं है।

8– अतः अपील अपीलान्ट्स अस्वीकार की जाती है तथा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 20–08–2009 यथावत रखे जाते हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

9– निर्णय आज दिनांक 21–11–2017 को सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी

जयपुर